

धारा-1["106क, बैंक से भिन्न अन्य सहकारी समिति द्वारा कतिपय शब्दों का प्रयोग करने का प्रतिषेध- किसी सहकारी बैंक एवं उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक से भिन्न कोई सहकारी समिति अपने नाम में "बैंक", "बैंकर" एवं "बैंकिंग" शब्द का प्रयोग नहीं करेगी।"